रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-18/2016/1016/22-2-2015-17(24)/2014

लखनऊ:दिनांक: 17 मार्च, 2016

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, आगरा** के सिद्धदोष **बन्दी फैय्याज अहमद (बन्दी संख्या-7084) पुत्र श्री रहम अली, निवासी ग्राम-सबदलपुर, थाना-कोतवाली देहात, जिला-बुलन्दशहर** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-35/1979** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/149,148** के अधीन **दिनांक 21-05-1979** को मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, **बुलन्दशहर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।2- यह आदेश क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय,नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-07-2015 के प्रस्तर-7 के अन्तर्गत अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-1016(1)/22-2-2015 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ। 2-जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।3-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in